

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी पिडावा जिला झालावाड राज0

वाद सं.

23/2026

दायरा दिनांक : 27/01/2026

प्रकरण अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट/सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट.

सहायता बाई w/o परथी सिंह सोधिया नि. सरखेडी

बनाम

राजस्थान सरकार जारिये तहसीलदार पिडावा जिला झालावाड राज0

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही या मय इनिशियल्स जज	नं. व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तालीम में जारी हुये
27/01/26	<p>वादीया द्वारा उपस्थित होकर राजारव रिकार्ड में दर्ज चली आ रही अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त करने बाबत वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.एक्ट/सहपठित धारा 136 एल.आर.एक्ट में पेश किया जिसे दर्ज रजिस्टर किया गया। निर्धारित प्रारूप में प्रतिवादी तहसीलदार से प्रकरण में जांच रिपोर्ट तलब की गई।</p> <p>उभयपक्ष की बहस के परिपेक्ष्य में पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादीया द्वारा पेश विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2016 अनुसार वादीया का नाम सहायताबाई पत्नि परथीसिंह सोधिया नि. सरखेडी अंकित है। इसी प्रकार नामा.सं. 1066 दिनांक 11.06.2016 के कालम सं. 15 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीया के पति का नाम परथीसिंह अंकित है। ग्राम सरखेडी की जमाबंदी सं. 2073-76 एवं तहसीलदार द्वारा पेश जांच रिपोर्ट तथा राजस्थान सरकार (राजस्व ग्रुप-6) विभाग 4(1) राज-6/2002/19 दिनांक 18.06.2007 परिपत्र के अनुसार वादी के राजस्व रिकार्ड में भू. प्रबंध विभाग/राजस्व विभाग द्वारा दर्ज अशुद्धि/त्रुटी को दुरुस्त किया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अतः विक्रय पत्र दिनांक 02.05.2016 के अनुसार वादीया के पति के नाम में संशोधन हेतु वादीया का वादपत्र स्वीकार किया जाकर पृथक से आदेश जारी हो। संबंधित तहसीलदार को पालना हेतु आदेश की प्रति भेजी जावे। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम की जाकर रजिस्टर में खारजा लगाया जावे।</p>	



(Handwritten signature)
27/01/26

(दिनेश कुमार मीना)

सहायक लैण्ड रिकार्ड अधिकारी
एवं पीठस्थ उपखण्ड अधिकारी,
पिडावा, जिला झालावाड (राज०)